

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-CM-edash-07/2020

1464(मौ०)

/पटना, दिनांक-21/3/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा।

विषय:- रास्ता का उपयोग की अनुमति के संबंध में।

प्रसंग:- श्री अरविन्द कुमार उर्फ अशोक कुमार से प्राप्त आवेदन

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्री अरविन्द कुमार उर्फ अशोक कुमार जिला-नालन्दा द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत ग्राम-बड़ीहा, पोस्ट+थाना-नगरनौसा के प्लॉट सं०-1040 में निर्माण कार्य के आगे से एक आर०सी०सी० रोड गुजरती है जिसके अगले हिस्से एवं उक्त रोड के बीच एक छोटा गैरमजरूआ पर्इन में ड्रेनेज का पाईप देकर रास्ता का उपयोग करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसपर माननीय विभागीय मंत्री द्वारा जनहित में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जाँच कर ली जाय तथा पर्इन का भविष्य में खुदाई करने के पश्चात् Bed level तथा Top Width का आकलन कर लिया जाय। निजी व्यक्ति द्वारा पर्इन में Hume Pipe नाला बनाने के लिए पर्इन की पूरी चौड़ाई में तथा Bed Level पर निर्माण करने के साथ ही विभागीय अभियन्ताओं की देख-रेख में कार्य कराने की शर्त के साथ NoC दिया जा सकता है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाषजन

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1464(मौ०)

/पटना, दिनांक-21/3/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना एवं मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1464(मौ०)

/पटना, दिनांक-21/3/2020

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1464(मौ०)

/पटना, दिनांक-21/3/2020

प्रतिलिपि- श्री अरविन्द कुमार उर्फ अशोक कुमार, पिता-जगदीश शर्मा, गाँव-बड़ीहा, पोस्ट+थाना-नगरनौसा, जिला-नालन्दा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
गै०स०प्रे०सं०... 619
दिनांक... 14/06/2020

माननीय मंत्री महोदय,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

रास्ता का उपयोग की अनुमति के संबंध में।

अर्विन्द कुमार (अरुण)
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना
विषय:-
19 JUN 2020
महाशय,
(अपर मुख्य सचिव कोषांग)

निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं अरविन्द कुमार उर्फ अशोक कुमार, पिता-जगदीश शर्मा, ग्राम-बडीहा, पोस्ट + थाना-नगरनौसा, जिला-नालन्दा (बिहार) का निवासी हूँ। मैं ग्राम बडीहा स्थित अपने प्लॉट संख्या-1040 में निर्माण का कार्य करवा रहा हूँ। मेरे उक्त प्लॉट के आगे से एक आर०सी०सी० रोड गुजरती है। प्लॉट के आगे वाले हिस्से और उक्त रोड के बीच एक छोटा गरमजरूआ पड़न है। उक्त पड़न में ड्रेनेज का पाईप देकर उसपर रास्ता का उपयोग करना चाहता हूँ। आस-पास के लोग भी उस पड़न का उपयोग उसी तरह से करते आ रहे हैं।

2631/ALS
19/6/20

JMS
19-06-2020

EE, Nalanda
श्री ५५ नं० ५५५५५५

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय। इस कार्य हेतु भवदीय का सदा आभारी रहूँगा।

रवि

27/6
24/6

2869 (M)
22/6/20

विश्वासभाजन

अरविन्द कुमार उर्फ अशोक कुमार
(अरविन्द कुमार उर्फ अशोक कुमार)
पिता-जगदीश शर्मा, गाँव-बडीहा,
पोस्ट + थाना-नगरनौसा,
जिला-नालन्दा (बिहार)
मो० सं०-9308515807

प्रधान सचिव
कृपया प्र.सू.क.ली.के.
अनुमति में नियमानुसार
आवृत्ति का कारवाय देना
आप
14.6.2020
(नरेन्द्र नारायण यादव)